Helpline 1064

94135-02834

कार्यालय महानिदेशक भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो

(जनसम्पर्क प्रकोष्ठ)

प्रेस नोट

- **कोटा में राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग के जिला लेखा प्रबन्धक को 50 हजार रुपये रिश्वत लेते रंगे हाथों किया गिरफ्तार**
- **आवास एवं अन्य ठिकानों की तलाशी जारी**

जयपुर, *30 अप्रैल।* ए.सी.बी. मुख्यालय के निर्देश पर एसीबी की कोटा इकाई द्वारा आज कोटा में कार्यवाही करते हुये राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, कोटा के जिला लेखा प्रबन्धक महेन्द्र कुमार मालीवाल को परिवादी से 50 हजार रूपये की रिश्वत राशि लेते हुये रंगे हाथों गिरफ्तार किया है।

भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो के महानिदेशक श्री भगवान लाल सोनी ने बताया कि ए.सी.बी. कोटा इकाई को परिवादी द्वारा शिकायत दी गई कि कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, कोटा में लगी चार गाड़ियों के बिल पास करने की एवज में टेण्डर कैंसिंल करने का भय दिखाकर राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, कोटा के जिला लेखा प्रबन्धक महेन्द्र कुमार मालीवाल द्वारा अपने एवं सी.एच.एम.ओ. के लिये कमीशन के रूप में 1 लाख 30 हजार रुपये की राशि रिश्वत मांगकर परेशान किया जा रहा है।

जिस पर एसीबी की कोटा इकाई के **अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्री ठाकुर चन्द्रशील कुमार** के नेतृत्व में शिकायत का सत्यापन किया जाकर आज **उप अधीक्षक पुलिस श्री हर्षराज सिंह खरेडा** एवं उनकी टीम के द्वारा ट्रेप कार्यवाही करते हुये महेन्द्र कुमार मालीवाल पुत्र श्री कृष्ण कुमार मालीवाल निवासी राजकीय बालिका माध्यमिक विद्यालय के पास, कुन्हाड़ी कोटा हाल जिला लेखा प्रबन्धक, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, कोटा को परिवादी से 50 हजार रूपये की रिश्वत राशि लेते हुये रंगे हाथों गिरफ्तार किया।

एसीबी के अतिरिक्त महानिदेशक श्री दिनेश एम.एन. के निर्देशन में आरोपी के निवास एवं अन्य ठिकानों की तलाशी जारी है। एसीबी द्वारा मामले में भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के अन्तर्गत प्रकरण दर्ज कर अग्रिम अनुसंधान किया जायेगा।

एसीबी महानिदेशक, श्री भगवान लाल सोनी ने समस्त प्रदेशवासियों से अपील की है कि भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो की ***टोल–फ्री हैल्पलाईन नं.*** **1064** *एवं* ***Whatsapp हैल्पलाईन नं.*** **94135–02834** पर 24X7 सम्पर्क कर भ्रष्टाचार के विरूद्ध अभियान में अपना महत्वपूर्ण योगदान दें। **एसीबी आपके वैध कार्य को करवाने में पूरी मदद करेगी।** विदित रहे कि एसीबी राजस्थान राज्य में राज्य कर्मियों के साथ–साथ केन्द्र सरकार के कार्मिकों के विरूद्ध भी कार्यवाही करने को अधिकृत है।